© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 07 Issue: 01 | January – March 2016

प्रशासनिक सुधार में सूचना तन्त्र की भूमिका

डा0 रचना दलाल विभाग लोक प्रशासन राजीव गॉधी महाविघालय उचाना।

संक्षेप

आधुनिक समय में राष्ट्र एंव राज्य का प्रमुख कार्य सामाजिक विकास, लोककल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा न्याय की स्थापना करना है। 17 वीं और 18 वी शताब्दी में 'अहस्तक्षेपवादी राज्य' की मांग की गई अर्थात् राज्य का कार्य केवल सीमा सुरक्षा करना तथा आन्तरिक व्यवस्था बनाए रखना है। परन्तु शीघ्र ही स्वीकार किया गया कि पशुजगत का यह सिद्वान्त (योग्यतम का जीवित रहना) मानव कल्याण नहीं कर सकता। इसी का परिणाम है कि राज्य किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अविकल्पनीय संस्था मानी जाने लगी। राज्य के कार्यों, नीतियों तथा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन तन्त्र कार्यरत है। तेजी से बदलती सामाजिक–आर्थिक सरचंनाओं तथा वैश्वीकरण के युग में 'जड़ प्रशासन' में सुधारों की आवश्यकता है। वर्तमान समय में इन प्रशासनिक सुधारों में सूचना तन्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

© iJRPS International Journal for Research Publication & Seminar

भूमिकाः–

प्रशासनिक सुधर से तात्पर्य है प्रशासन के संगठन में इस तरह सुधार करना कि कार्मिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो, कार्यो में तीव्रता तथा ईमानदारी सुनिश्चित हो सके। इसका एक अर्थ यह भी है कि प्रशासन की नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित किया जाए वस्तुतः यह एक मूल्य उन्नमुखी अवधारणा है। मैडन के अनुसार ''प्रतिरोध के बावजूद प्रशासन को परिवर्तित करने का सृजनात्मक प्रयत्न प्रशासनिक सुधार है'' प्रशासनिक सुधार की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम सूचना आमजन तक पहुचॉंना है जिससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

प्र ाासनिक सुधार में सूचना तन्त्रः–

वर्तमान समय में सूचना तन्त्र किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बनाने में एक सहायक यन्त्र का कार्य करता है। सूचना तन्त्र की सहायता से ही प्रशासनिक कार्यो से सम्बन्धित ऑकड़े खोजना और उनका विश्लेषण करना अब मुश्किल नहीं रहा। लोक प्रशासन के उद्वेश्यों को लेकर बने ष्च्व्क्ब्व्त्ठ सिद्धान्त जिसे लूथर गूलिक ने दिया था के तहत एक प्रमुख तत्व 'रिपोर्टिंग' अथवा सूचना देना भी है अर्थात् उन लोगों को सूचित रखना जिनके प्रति कार्यपालिका चल रहे कार्यो को लेकर जवाब देह है। इसमें रिकॉर्डो, शोधों और जॉच द्वारा स्वंय या अपने अंतर्गत काम करने वालों को सूचित रखना शामिल है।

विश्वग्राम में सूचना की महता

भूमंडलीकरण की अवधारणा को जन्म देने में सूचना संसार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मार्शल मैकलुहान का कथन है– ''मीडियम इज मैसेज' अर्थात् ''माध्यम ही संदेश है'' यदि माध्यम न हो संदेश का कोई मतलब नही रह जाता है। संदेश का विस्तार किस मात्रा में किन लोगों तक, किन रूपों में होगा, यह माध्यम पर ही निर्भर है।

भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ आज भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गांव में निवास करता है, माध्यम की महत्ता को देखा जा सकता है। यही कारण है कि प्रशासनिक अमले को आमजन से जुड़ी किसी सूचना को उनके द्वारा आसानी से समझा जा सकने वाले रूप में पेश करना जरूरी है ताकि सूचनाओं का सप्रेंषण लाभार्थियों तक सुलभता से पहुंच सके। उदाहरण के तौर पर सर्वशिक्षा अभियान को जनजातिय क्षेत्रों में सफल बनाने के लिए सरकार ने इस अभियान से जुडी तमाम सूचनाएं मुहैया कराने के लिए जनमाध्यमों का महत्व देते हुए कई प्रकार प्रावधान किए है। यह प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से एक सार्थक पहल है।

संचार क्राति और सुशासन द्वारा प्रशासनिक सुधारः–

भूमडंलीकरण के इस दौर में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ जिसे संचार क्रान्ति कहते हैं। संचार क्रान्ति ने भारत ही नही, बल्कि उन तमाम विकासशील देशों की सरकार की जनता के प्रति नजरिए में बड़े स्तर पर बदलाव किया। संचार क्रान्ति के फलस्वरूप सभी लोकतांत्रिक देशो में प्रशासन के स्तर पर व्यापक बदलाव आया है, जिसे अब 'सुशासन' की संज्ञा दी जाती है। भारत जैसे देश में सूचना के अधिकार (आर0 टी0 आई0) के कारण शासन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रशासन जहां संचार क्रान्ति के कारण लोगों की समस्याओं को तेजी से निपटाने का प्रयास कर रहा है। वहीं जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर जागरूक हुई है। इसी वजह से कई नई प्रशासनिक अवधारणाओं का सृजन हुआ है। ई–चौपाल, ई–प्रशासन मेगा अदालतें आदि ने प्रशासन के बदलते स्वरूप को प्रकट किया है।

भारत में प्रशासनिक सुधारः–

भारत एक विकासशील राष्ट्र है और इसकी अपनी विशिष्ट सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां है। परन्तु इन परिस्थितियों में लोक–कल्याणकारी राज्य के रूप को प्राप्त करने के उतरदायित्व राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री का नही है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार रूप से चलाने का प्रशासनिक कर्मचारियों अर्थात् लोक प्रशासन पर है। परन्तु भारतीय प्रशासन में लम्बे समय से विसंगतिया पाई जाती हैं। चाणक्य ने भी कहा था ''सरकारी धन का दुरूपयोग न करना उसी तरह नामुनकिन है, जैसे जीभ पर रखी चीनी को न चखना। तालाब में तैरती मछली कब दो घूंट पानी पी लेती है, पता ही नही चलता लेकिन अब दो घूंट वाली मछलियाँ नहीं, पूरा तालाब पीने वाले हाथी आ गए है। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि प्रशासन में छोटी–छोटी अनियमिताओं को स्वाभाविक प्रक्रियाएं मान लिया गया है। ऐसी दशा में प्रशासनिक सुधार हो तो कैसे? तथा कौन करे जब रक्षक ही भक्षक हो'' स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत के प्रशासनिक ढाँचे में कई आमूलचूल परिवर्तन किए गए। जिसमें रिपोर्ट, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 2005, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी ने इन सुधारों में सूचना तन्त्र के महत्व को स्वीकार किया है। इसी के परिणामस्वरूप आज से एक दशक पहले की बात करें, तो उसकी तुलना में प्रशासन कहीं ज्यादा जनोन्मुख दिखाई देता है।

राष्ट्रीय ई–गवर्नेस योजना और प्रशासनः–

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई–गवर्नेस योजना (एन0 ई0 जी0 पी0) जिसे 'एक कदम आपकी और, एक कदम आपके लिए' कहा गया को मई 2006 में इस दृष्टि से स्वीकृति दी गई कि सरकारी सेवाओं को उनकी कार्यकुशलता

पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए सस्ती दरों पर और आमसेवा वितरण आउटलेट के माध्यम से आमजनों के लिए उनके इलाके में ही सुलभ बनाना बुनियादी जरूरत है। वर्तमान समय में एनईजीपी में 27 मिशन मोडप्रोजक्ट शामिल है और 8 सहायक घटक है, जो केन्द्रीय, राज्य और क्षेत्रीय सरकार के स्तर पर लागू की जानी है। इनमें केन्द्रीय स्तर पर आयकर, सीमा शुल्क और पासपोर्ट, राज्य स्तर पर भूमि अभिलेख, कृषि और ई–जिला तथा स्थानीय स्तर पर पंचायत और नगरपालिका शामिल है। यह योजना सूचना तन्त्र का वह रूप है जिसके माध्यम से देश के प्रत्येक स्तर पर प्रशासनिक सुधार को गति मिली है।

प्रशासनिक सुधार में जनसूचनाओं की भूमिकाः–

समाज के विकास के लिए सूचना एक आवश्यक तत्व है। आज सूचना के प्रसार के लिए कई प्रकार के के माध्यम उपलब्ध है। इस कार्य में जनसंचार माध्यमों की विशेष भूमिका है। संचार माध्यम योजनाओं तथा विकास के कार्यो के बारे में समाज में सम्प्रेषण का कार्य करते है। सूचनाओं को सफल संचार के लिए प्रशासनिक इकाइयों का अपना नेटवर्क होता है। किसी भी आपदा की स्थिति में लोगो को सूचना पहुँचाने, सुरक्षित स्थानों तक ले जाने में सूचना का समय पर उपलब्ध होना विशेष महत्व रखता है। सूचना तन्त्र ने प्रशासनिक अधिकारी की जनसूचनाओं के संदर्भ में भूमिका को प्रभावित किया है। इससे प्रशासनिक अधिकारियों में उतरदायित्व की भावना में वृद्धि हुई है।

प्रशासनिक सूचनाओं का प्रभावी माध्यम विज्ञापनः–

विज्ञापन का आशय है किसी उत्पाद, सेवा या सूचना के सम्बन्ध में विशेष तौर पर लोगों को जानकारी प्रदान करना। विज्ञापन उपभोक्ता और उत्पादक के बीच एक पुल का काम करता है। विज्ञापन में कई प्रकार के अर्थ छिपे हैं इसी वजह से विज्ञापनों में यह जानना आवश्यक है कि वह किस वर्ग को सम्बोधित है। अलग–अलग विभागों की प्रशासनिक इकाइयों द्वारा विज्ञापन के माध्यम से आम लोगो तक सूचनाएँ पहुँचाना, प्रशासिनक सुधार की दिशा में एक कदम कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में देश के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निवेशालय का महत्वपूर्ण योगदान है। यह एजेंसी भारत सरकार की प्रसिद्ध एवं प्रमुख एजेंसी है। इसका कार्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायतशासी निकायों के लिए विज्ञापन करना है। इसके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रचारित एवं प्रसारित किए जाते है। स्वास्थय एंव परिवार कल्याण, स्वच्छ पेयजल, कृषि, खाद्य एंव पोषण, पंचायती राज, जवाहर रोजगार योजना आदि इसके अतिरिक्त डीएबीपी ने मलेरिया, तपेदिक, एड्स जैसे रोगो को जड़ से मिटाने के लिए अलग–अलग विभाग सूचना के उद्धेश्य से गठित किए है। उदाहरण के लिए बिहार में राज्य सरकार की पहल की दिशा में कदम उठाते हुए विभाग गठित किया है। भारत सरकार एंव गीत व नाटक प्रभाग सूचना एंव प्रसारण मन्त्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार गीत एंव नाटक प्रभाग प्रादेशिक कार्यालय रांची (झारखण्ड) के तत्वावधान में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं एवं जनोपयोगी विषयों की जानकारी प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए है। परम्परागत संचार माध्यम जब सार्वजनिक स्थानों पर प्रस्तुत होते है, तो ये आम लोगों के दिलों में गहराइयों में उतर जाते है और जनोपयोगी सूचनाओं की जानकारी देने के लिए प्रशासन के लिए ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करने वाले सिद्ध होते है।

ग्रामीण स्तर पर ई पंचायतः–

ई–पचांयत का तात्पर्य इलेक्ट्रोनिक पचांयत से है। इसके तहत सूचना और संचार को आधुनिक तकनीक का उपयोग कर पंचायत को कम्प्यूरीकृत किया जाता है। इसका मुख उद्धेश्य पचांयत–स्तर शासन प्रबन्धन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार करना है। जो भारत जैसे सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश के लिए अति महत्वपूर्ण है। वास्तव में पचांयत एक छोटा गणराज्य है और इसे स्वायत्तता का अधिकार दिया गया है। यह राज्य सूची का विषय है जिसके फल स्वरूप इसके गठन का उतरदायित्व राज्य सरकार पर है। अनुसूची 11 के तहत इसे सभी आवश्यक क्षेत्रों में अधिकार दिए गए हैं। इस में कुल 29 विषयों को रखा गया है। परन्तु इनसे सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायत–स्तर पर जनसहयोग की आवश्यकता है। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों की ई–पचांयत के द्वारा ग्रामीण जनता तक पहुँचा कर उनकी सहभागिता प्राप्त की जा सकती है। ई–पचायत तकनीक के द्वारा ग्रामीण लोगों को भूमि सुधार, भूमि सरक्षंण, वन उद्योग, परिवार कल्याण लोक वितरण प्रणाली, सामुदायिक शक्तियों की जानकारी एव मनरेगा ;डछत्म्ळ।द्ध जैसे रोजगार कार्यक्रम की सूचना दी जा सकती है। पचांयत–स्तर पर ई–पचांयत प्रशासनिक वर्ग के कार्यो में पारदर्शिता एवं जवाब देहिता का एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्व हो सकता है।

निष्कर्षः–

प्रशासन में पारदर्शिता लाने तथा जनसधारण को वांछित सूचना देने के लिए आवश्यक है कि संचार व्यवस्था उपयुक्त हो। आम लोगों तक सूचना पहुँचाने में सूचना व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली कार्यप्रणाली का संयोजन और उनकी गुणवता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये दोनो आपस में जुड़े हुए है। यही वजह है कि संचार नीति में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ–साथ उतम और प्रासंगिक कार्यप्रणाली भी विकसित की जाए, जिसमें प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम और आगे तय किया जा सके। भारत जैसे विकासशील देश में जहां अर्धबेरोजगारी अशिक्षा पुरानी परम्पराएँ, भूखमरी जैसी सामाजिक समस्याएं पाई जाती है वहां जनपयोगी सूचनाओं को सही समय पर और साथ ही उपयुक्त तौर पर लाभार्थियों तक पहुँचाना आवश्यक है। इस कार्य में प्रशासनिक विज्ञापनों, सूचना का अधिकार 2005, ई–गवर्नेस, संसाधनो व सूचना की भागीदारी तथा समन्वय के लिए गठित संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सन्दर्भ सूचि

1. लक्ष्मीकांत : प्रशासिनक सुधार में सूचना तन्त्र

2. रिर्पोट : जनसाधारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्य समूह

3. नया इण्डिया : प्रशासनिक सुधार में सूचना तन्त्र की भूमिका

4. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 : रिर्पोट

5. म्समबजतवदपब ंदक पदवितउंजपवद जमबीदवसवहलरू ।ददनंस त्मचवतज 2012.13

6. उत्पल कुमार बैनर्जी : 1984 राजनीति में संचार

7. द्विती प्रशासनिक आयोग 2005 : 8 वीं रिर्पोट

8. द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2005 : 11 वीं रिर्पोट

9. अशोक कुमार दुबे : प्रशासनिक विचारधाराएं

10. परिकन्या : लोक प्रशासन के पारदर्शिता की आवश्यकता पर निबन्ध